जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(प्रथम)/2022/डी– 1076 दिनांकः– 18/10/22

–: आम सूचना :–

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.रा.	योजना का नाम	रोवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी श्री लल्लूराम	श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी श्री लल्लूराम	46	984.69	हथरोईगढ़ी	नारायणपुरी–सी	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।
2	श्रीमती अनुपमा पत्नी श्री मुकेश	अनुपमा पुत्री श्री भगवान सहाय	47	639.75	हथरोईगढ़ी	नारायणपुरी–सी	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।
3	श्री फूलचन्द चौधरी पुत्र श्री सुजाराम चौधरी	श्री फूलचन्द चौधरी पुत्र श्री सुजाराम चौधरी	29	958.69	हथरोईगढ़ी	नारायणपुरी–सी	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।
4	श्री अंकित कटारिया पुत्र श्री रामेश्वर कटारिया	श्री अंकित कटारिया पुत्र श्री रामेश्वर कटारिया	33	993.95	हथरोईगढ़ी	नारायणपुरी–सी	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।
5	लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन जरिये प्रोपराईटर श्रीमती मंजु कंवर पत्नी श्री भवानी सिंह	श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा	200 वेस्ट पार्ट	127.58	भैरव	हनुवन्त नगर	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेज के आधार पर।
5	लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन जरिये प्रोपराईटर श्रीमती मंजु कंवर पत्नी श्री भवानी सिंह	श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा	200 ईस्ट पार्ट	136.72	भैरव	हनुवन्त नगर	लीजडीड हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं श्रृंखलाबद्ध दस्तावेज के आधार पर।

उपायुक्त एवं अधिकृत अधिकारी
उपायुक्त पीआरएन–उत्तर(प्रथम)
जविप्रा, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि :– जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य संरकार के आदेशो के कम मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त एवं अधिकृत अधिकारी
उपायुक्त पीआरएन–उत्तर(प्रथम)
जविप्रा, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक: LU2012/JDA/2022-23/102148 दिनांक: 18/10/2022

लोक सूचना

अमन बाजोरिया पुत्र बिष्णु बाजोरिया जाति महाजन निवासी–बी.एफ. 168, लोकनाथ अपार्टमेन्ट, रबिन्दरपल्ली, राजरहाट, गोपालपुर, नार्थ–24, परगना, प्रफुल्ल कानन, पश्चिम बंगाल

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है; अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ग्राम मदाऊ, सांगानेर (जयपुर)	अमन बाजोरिया पुत्र बिष्णु बाजोरिया जाति महाजन निवासी–बी.एफ. 168, लोकनाथ अपार्टमेन्ट, रबिन्दरपल्ली, राजरहाट, गोपालपुर, नार्थ–24, परगना, प्रफुल्ल कानन, पश्चिम बंगाल	693/36	1500	0.15
				कुल	0.15

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **18-10-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांकः LU2012/JDA/2022-23/102144 दिनांकः 18/10/2022

लोक सूचना

श्री राधागोविन्द लश्करी पुत्र श्री बंशीधर लश्करी जाति महाजन पताः–16, शुभम एनक्लेव, जमनालाल बजाज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम श्री महावीर चौधरी पुत्र श्री जुगल किशोर चौधरी निवासी– 28, हरे कृष्णा विलेज–2, ग्राम मानसिंहपुरा धौलाई, मानसरोवर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ग्राम मदाऊ, सांगानेर (जयपुर)	श्री राधागोविन्द लश्करी पुत्र श्री बंशीधर लश्करी जाति महाजन पताः–16, शुभम एनक्लेव, जमनालाल बजाज मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।	695/36	1421	0.1421
				कुल	0.1421

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **18-10-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा/उप पीआरएन (दक्षिण द्वितीय)/2022/ [illegible] दिनांक 12/12/2022

सूचना

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मृत आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृनिस.स. /निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	क्या निरस्त किए आवेदन किए गया	कार्यवाही हेतु [illegible]
1	मीरा देवी	कैलाश चंदोला	135,136,137	300.00	कीर्ति नगर को. हा.सो.लि.	श्री गणपति नगर	नीजडीड	[illegible]
2	सरिता सिंह	लक्ष्मी देवी	10 & 11A	150.00	हसनपुरा–ए गृ. नि.स.स.लि.	ज्ञान विहार	नीजडीड	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र इत्यादि।
3	सरिता सिंह	लक्ष्मी देवी	10 & 11	150.00	हसनपुरा–ए गृ. नि.स.स.लि.	ज्ञान विहार	नीजडीड	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र इत्यादि।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. ..... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा./जोन–12/2022/डी– 3550 दिनांक 18-10-2022

–: आम सूचना :–

निम्न आवेदक द्वारा सम्पति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिऐ आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	प्रिया सिन्धी पत्नी श्री हरीश कुमार सिन्धी	श्री राजेन्द्र कुमार यादव	413	43.62	जविप्रा	बिन्दायक	फ्री–होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
2.	राजेश शर्मा पुत्र श्री प्रेम स्वरूप शर्मा	श्री सोहन लाल खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रहलाद राय	86	43.62	जविप्रा	बिन्दायक	फ्री–होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
3.	श्री रितेश कुमार तिवाडी पुत्र श्री अमरनाथ तिवाडी	श्रीमती सुनिता जैन पत्नी श्री अमर चन्द जैन	263	43.62	जविप्रा	बिन्दायक	फ्री–होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
4.	श्रीमती अलकता शर्मा पत्नी श्री राजेश शर्मा	अशोक कुमार डंगोरिया पुत्र श्री सन्नूराम डंगोरिया	85	43.62	जविप्रा	बिन्दायक	फ्री–होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर फ्री–होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री–होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - {+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 2885 दिनांकः– 17/10/22

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अशेष वैश्य	श्री अम्बिका प्रसाद	एफ–89	311.11 वर्ग गज	जविप्रा	सी–स्कीम	नामहस्तान्तरण	अपंजिकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 2881 दिनांकः– 17/10/22

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	(1) श्रीमती नानगी देवी (2) श्री बनवारी लाल (3) श्री बाबुलाल कायल (4) श्री नरेन्द्र धाणका (5) श्री कन्हैयालाल धाणका (6) संतोष एवं (7) लाली	नाथू लाल	बी–59	51.453 वर्ग गज	जविप्रा	झालाना फेज–II	नामहस्तान्तरण/पट्टा	अपंजिकृत इकरारनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंजीकृत सहमति पत्र एवं शपथ पत्र

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(द्वितीय)/2022/डी– 1557 दिनांकः– 17/10/22

–:सार्वजनिक सूचना:–

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर–द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:–

क. स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	प्रतिभा जोशी/कैलाश जोशी (श्री लक्ष्मी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना–मां हिंगलाज नगर–बी)	94ए साउथ पार्ट	100
2	सुनीता कवर/शंकर सिंह (श्री महावीर स्वामी गृ0स0स0लि0की योजना–रूप सागर)	35 साउथ पार्ट	120
3	अशोक गहलोत/गोपीराम गहलोत (अपोलो नगर हा0को0सो0लि0 की योजना–जगदम्बा नगर–डी)अपंजीकृत इकरारनामा से	डी–502	112.50
4	अनुराधा शर्मा/पीताम्बर दयाल शर्मा (श्री जनता को0आप0हाउ0सो0लि0 की योजना–घनश्याम विहार–ए) अपंजीकृत इकरारनामा से	58	400
5	विकास जाखड़/मूंगाराम जाखड (मित्र गृ.नि.स.स.लि.की योजना–श्री राम विहार–बी) .	56	60
6	राजेश कुमार वर्मा/लछूराम (श्री जनता हा0को0सो0लि0 की योजना–श्याम एन्कलेव)	पी–60 साउथ पार्ट	328.28
7	मुकुंद बलाई/लछूराम (श्री जनता हा0को0सो0लि0 की योजना–श्याम एन्कलेव)	पी–60 मिडिल पार्ट	195.55
8	जगदीश नारायण/लछूराम (श्री जनता हा0को0सो0लि0 की योजना–श्याम एन्कलेव)	पी–60 उत्तरी भाग	150

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त
उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा./जोन–12/2022/डी– दिनांक

–:सार्वजनिक सूचनाः–

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के तहत जोन–12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. कल्याण दत्त शर्मा	श्री प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. कल्याण दत्त शर्मा	ई–16	252.00	जविप्रा	हाथोज करधनी विस्तार	फ्री होल्ड लीजडीड	जविप्रा द्वारा दिनांक 16.01.08 को श्री प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. कल्याण दत्त शर्मा को भूखण्ड संख्या ई–16 क्षेत्रफल 252.00 वर्ग मीटर की लीजडीड जारी की गई। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेजो को गुम होने के सम्बन्ध में स्टेशन हाउस ऑफिसर सायबर कॉईम पुलिस स्टेशन राजस्थान, जयपुर में दिनांक 08.10.2022 को एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई। आवेदक द्वारा भूखण्ड के पट्टे, साईट प्लान की छायाप्रतियॉ व एफ.आई.आर. व शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है।

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
क्रमांक जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 3537

दिनांक 17-10-2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - {+91-141-2574798} : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102121 दिनांकः 17/10/2022

लोक सूचना

श्रीमति **VIMUKTI SANSTHAN THROUGH TREASURER MS. MANISHA GAUTAM** पत्नी श्री **SUNIL GAUTAM** जाति **HINDU** कार्यालय पता **C-40, LAJPAT MARG, C-SCHEME, JAIPUR RAJ.** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **शैक्षणिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	VIMUKTI SANSTHA	282	4700	0.47
2.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	VIMUKTI SANSTHA	288	500	0.05
3.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	VIMUKTI SANSTHA	730/286	1500	0.15
4.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	VIMUKTI SANSTHA	732/287	300	0.03
				कुल	**0.7**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **17.10.2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–14 जयपुर
विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेक्टर जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री रूपनारायण पुरोहित	श्रीमती निशा सोंलकी पत्नी श्री प्रदीप सोंलकी	160सी	200	संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	डॉ राजेन्द्र प्रसाद नगर-ए	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, अपंजीकृत इकरारनामा /विक्रय पत्र

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-2261 दिनांक 14/10/2022

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101718 दिनांकः 15/10/2022

लोक सूचना

श्री **BAANWAR LAL SAINI** पुत्र श्री **KESAR LAL SAINI** जाति **SAINI** निवासी **DELLIWAL HUSE, GOPAL COLONY, PRATAP NAGAR SECTOR 1 NEAR PINJARAPOL GAUSHALA MAIN TONK ROAD SANGANER JAIPUR**

श्रीमति **LAXMI DEVI SAINI** पत्नी श्री **BHANWAR LAL SAINI** जाति **SAINI** निवासी **4 MAIN TONK ROAD NEAR PINJRAPOL GOSHALA SANGANER JAIPUR**

श्री **MOTI LAL SAINI** पुत्र श्री **KASER LALSAINI** जाति **SAINI** निवासी **DELHI WAL BHAWAN GO SHALLA KE PASS, SANGANER JAIPUR**

श्री **BABU LAL** पुत्र श्री **KESHAR LAL** जाति **SAINI** निवासी **98, GOPAL NAGAR SANGANER JAIPUR**

श्री **KAMLESH SAINI** पुत्र श्री **KESAR LAL SAINI** जाति **SAINI** निवासी **332 PINJRA POL GOSHALA TONK ROAD GOPAL COLONY SANGANER JAIPUR**

श्री **GOVIND RAM SAINI** पुत्र श्री **KESHAR LAL SAINI** जाति **SAINI** निवासी **332 PINJRA POL GOSHALA TONK ROAD GOPAL COLONY SANGANER JAIPUR**

श्री **KALYAN SAHAI SAINI** पुत्र श्री **KESHAR LAL** जाति **SAINI** निवासी **36, PINJRA POL GOSHALA TONK ROAD GOPAL COLONY SANGANER JAIPURE**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	KAMLESH, KALYAN SAHAI, GOVIND RAM, BABU LAL, BHANWAR LAL LAXMI DEVI, MOTI LAL	4101	502	0.0502
2.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	BABU LAL	4101/1	785	0.0785
3.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	KALYAN SAHAI	4101/2	599	0.0599
4.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	MOTI LAL	4101/3	722	0.0722
5.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	KAMLESH	4101/4	110	0.011
6.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	BHANWAR LAL, LAXMI DEVI	4101/5	482	0.0482

उपायुक्त जोन – 8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

		LAL			
				कुल	**0.55**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **15-10-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–10
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102128 दिनांकः 18/10/2022

लोक सूचना

श्रीमति **M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR RACHNA GUPTA** पत्नी श्री **VIVEK GUPTA** जाति **MAHAJAN** निवासी **35, PANKAJ MARG, GOVIND NAGAR WEST, AMER ROAD, JAIPUR- 302002**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **पर्यटन इकाई** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	10070/2972	4871	0.4871
2.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	10073/2972	1740	0.174
3.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	2973/2	1806	0.1806
4.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	7841/9352	9076	0.9076
5.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	10071/2972	300	0.03
6.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	10072/7841	5055	0.5055
7.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	10074/2972	300	0.03
8.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	2972/9259	7550	0.755
9.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	2972/9346	5960	0.596
10.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	2973	4420	0.442

18.10.22

11.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	2973/3	400	0.04
12.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	2974	7100	0.71
13.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	2975	11400	1.14
14.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	2976	600	0.06
15.	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED	7565/9677	500	0.05
				कुल	**6.1078**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **18-10-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–10
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/ 18.10.22

Digitally Signed by Naresh Singh Tanwar
Designation : DC/ AO
Date: 2022.10.18 14:52:52 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी–2374 दिनांक 18-10-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांकः से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	738	न्यू पिंकसिटी	सिद्धार्थ नगर–ए	श्री नय्यर आलम आजमी पुत्र श्री एजाज अहमद	सुश्री अंशु चांदना पुत्री श्री डी.आर चांदना	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 23.07.2005 आदि।
2	737	न्यू पिंकसिटी	सिद्धार्थ नगर–ए	श्री नय्यर आलम आजमी पुत्र श्री एजाज अहमद	सुश्री रीटा पुनिया पुत्री श्री एम.आर पुनिया	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 23.07.2005 आदि।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल
:dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन–4/2022/डी– 2346 दिनांक 19-10-2022

विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदकगण द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक/आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	61	किसान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं. 2 इन्कमटैक्स कॉलोनी	श्री अनुराग चारण पुत्र श्री खेत सिंह	श्री डी.एम. जैन पुत्र श्री धनरूपमल जैन	पंजीकृत पटटा, अपंजीकृत वसीयतनामा, नाम हस्तान्तरण के आधार पर।

Sd/-
उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपीः–

1. जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
उपायुक्त जोन–4,
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष – 0141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई–मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन–4/2022/डी– 2377 दिनांक 18-10-2022,

विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदकगण द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड (पटटा विलेख) जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में लीजहोल्ड (पटटा विलेख) जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक/आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
48	61	अमृतपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना विप्र विहार	श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बिहारी लाल शर्मा	श्री चन्द्रभान पालीवाल पुत्र श्री रतन लाल पालीवाल	सोसायटी आवंटन पत्र, साईट प्लान रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपीः–

1. जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा/जोन–5/2022/डी– 3502 दिनांकः– 18-10-22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. /निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	116935	श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व. श्री मोहन सिंह	श्री मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री मोती सिंह	440	188.33	पथिक भवन	कटेवा नगर	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
2.	–	श्री रतन सिंह नरूका पुत्र श्री प्रभू सिंह	श्री शिव कुमार जैन पुत्र श्री शिखर चन्द जैन	86	240.00	श्री महाराजा गोपालपुरा	प्रेम नगर स्कीम नं. 4	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपंजीकृत इकरारनामा

18/10/22

उपायुक्त जोन–5
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}: फैक्स - +91-141-2574555

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3485 दनांक 18.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी – 2775 दिनांक 19.10.2022

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती मिनाक्षी पत्नी श्री गोकुलचन्द	श्री राकेश कुमार, सीताराम पुत्र श्री नारायण, श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री नारायण	144–सी	150	जविप्रा योजना	ग्राम भम्भोरिया	नाम हस्तांतरण	नाम प्रतिस्थापन पत्र
2.	श्रीमती सुमित्रा अग्रवाल पत्नी श्री निर्मल कुमार अग्रवाल	मैसर्स कुल्पी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा.लि.	99	800	जविप्रा योजना	ग्राम कलवाडा	नाम हस्तांतरण	नाम प्रतिस्थापन पत्र
3.	श्री गुलराज जावा पुत्र श्री लक्ष्मण दास जावा जरिये मुखत्यारआम श्री मंगलराम चौधरी पुत्र श्री भूराराम चौधरी	श्रीमती अनिता सर्राफ पत्नी श्री प्रदीप सर्राफ	68	150	जविप्रा योजना	ग्राम झांई	नाम हस्तांतरण व लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व मुखत्यारआम
4.	श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री केदार मल शर्मा	श्री शंकरलाल जाट पुत्र श्री रामकरण	1904	150	जविप्रा योजना	ग्राम पालडी परसा	नाम हस्तांतरण	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
5.	डॉ. दीपक टाक पुत्र स्व. श्री कमल नयन टाक	श्री आंचल राजपूत एवं विजय गुप्ता / विजय गुप्ता एवं आशाराम	926	334.75	निजी खातेदारी	ओमेक्स सिटी	नाम हस्तांतरण	मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयत

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-2574798} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {7402}: फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3485..... दिनांक.....18/10/2022.....

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृ0नि0स0समिति** की योजना **अनुपम विहार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
माचडा, आमेर	1026	2.5100 हैक्टयेर	कैलाश पुत्र मंगला हि. 1/32, जोधा पुत्र काना हि. 1/8, रामचन्द्र पुत्र मंगला हि. 1/32, लालचन्द पुत्र प्रताप हि. 1/2 शान्ति पत्नी कालूराम उर्फ काल्या हि. 1/8, सूरज देवी पत्नी मंगला हि. 1/32, सांवत राम पुत्र काना, हि. 1/8 सीताराम पुत्र मंगला हि. 1/32 जाति मीणा, सा.देह खातेदार
	1026/1126	0.2700 हैक्ट.	रविन्द्र प्रसाद पुत्र मनमोहन हि. 1/3, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मनमोहन हि. 2/3, जाति ब्रहामण सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-06 जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन नं. 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3425 दनांक 18/10/22

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

PRO/K-
18/10/22

उपायुक्त जोन–6
उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 3425 दिनांक 18.10.22

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण ओमशिव **गृ.नि.स.स** की योजना चमनबाडी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
झोटवाडा तहसील जयपुर	652 653	1.07 (0.3414) 0.01 (0.0126)	चौथमल पुत्र बालाबक्श जाति महाजन सा.देह

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06, जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3428 दनांक 18-10-22

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

PRO 18/10/22

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 5428 दिनांक 18-10-22

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण शंकर भवन **गृ.नि.स. स** की योजना महादेव नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
चरण नदी तहसील जयपुर	522/1 521/593	0.4553 0.6576	कजोड पुत्र बोदिया हि. 1/6, कालू पुत्र बोदिया हि. 1/6 गंगू पुत्र भूरा हि. 1/3, नानूराम पुत्र शिवनारायण हि. 1/6, रामकुमार पुत्र शिवनारायण हि. 1/6 जाति मीणा सा.देह खातेदार
	521/594 523/1	0.7588 0.1770	सोनू पुत्र महादेव मीणा सा.देह
	520	1.5302	काना पुत्र रामू जाति माली सा.देह

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 18-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06, जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी–3432 दनांक 18-10-22

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

PRO 18/X/22

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....5432 दिनांक.....18+1022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण शंकर भवन गृ.नि.स. स की योजना प्रताप नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर	738	0.4932	गोपाल लाल पुत्र प्रताप हि. 1/2, पांची पत्नी प्रताप हि. 1/2 जातिमाली सा-देह खातेदार
	750 751	0.2656 1.8337	कल्याण पुत्र ग्यारस्या हि. 1/2, काना पुत्र ग्यारस्या हि. 1/2 जाति माली, सा.देह खातेदार।

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 18+10 22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषयः– प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री महादेव प्रसाद सैनी पुत्र श्री कालूराम	श्री महादेव प्रसाद सैनी पुत्र श्री कालूराम	36	100.00 व.ग.	श्री गणपति गृनिसस	गोविन्द नगर	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध मे।	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
2.	श्रीमति सीता देवी पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा	श्री गजानन्द पुत्र श्री भूराराम सैनी	39–40	400.00 व.ग.	महादेव नगर गृनिसस	हनुमान वाटिका	फ्री होल्ड पट्टा लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध मे।	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
3.	श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश सिंह	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री मूलचन्द कश्यप	101	183.30 व.ग.	मोती भवन गृनिसस	11बी सुदामापुरी	फ्री होल्ड पट्टा लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध मे।	उत्तराधिकार का प्रकरण होने के सम्बन्ध मे।
4.	श्री चौथमल कुमावत पुत्र श्री गणेश	श्री अनिल शर्मा पुत्र स्व.श्री	एस–385	100.00 व.ग.	मोती भवन गृनिसस	4एस माचडा	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध मे।	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची में नाम

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-2570256.} : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशनः{7118}:

ई-मेल : {rajasthan.gov.in}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन–4/2022/डी–2378 दिनांक 18-10-2022.

विज्ञप्ति/सूचना

नागरिक विकास समिति की योजना श्रीजी नगर ब्लॉक–सी का दिनांक 28.10.2022 को नियमन शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना में निम्नांकित सारणी में वर्णित भूखण्डों द्वारा श्रृँखला दस्तावेजों में पंजीकृत विक्रय पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, पंजीकृत वसीयतनामा, अपंजीकृत वसीयतनामा, उत्तराधिकार सम्बन्धी दस्तावेज, सहमति पत्र ईत्यादि प्रस्तुत किये जा रहे है जिनके आधार पर नियमन किया जाना है। अतः निम्नांकित भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही करने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो कैम्प दिवस से पूर्व जविप्रा, जोन–4 कार्यालय में प्रस्तुत कर देवे। नियम अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गगज में)	आवंटी सदस्य का नाम
1	सी–1	71.86	बंशी मावर
2	सी–1ए	71.86	गंगाराम मावर
3	सी–1बी	71.86	सुरेश
4	सी–1सी	31.11	गुलाब देवी
5	सी–1डी	37.33	बाबूलाल
6	सी–2	100	मोहनलाल
7	सी–3	100	गोपाल
8	सी–4	100	रमेश, मनोज
9	सी–4ए	100	नानगराम, भगवती
10	सी–5	200	मदनलाल
11	सी–6	300	भौरीलाल
12	सी–7	200	रामकिशन
13	सी–8बी	100	बाबूलाल
14	सी–8ए	100	छीतरमल
15	सी–8	100	रामेश्वर
16	सी–9	300	धनराज
17	सी–10	200	रामकरण
18	सी–11	193.33	रघुवेन्द्र
19	सी–12ए	96.66	
20	सी–12	96.66	बद्री
21	सी–13	193.33	कन्हैयालाल
22	सी–14	193.33	गंगाराम
23	सी–15	96.66	प्रेमलता सोगानी

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

24	सी–15ए	96.66	मदनलाल
25	सी–16	193.33	कालूराम
26	सी–17	96.66	ग्यारसीलाल
27	सी–17ए	96.66	विमलेश
28	सी–18	193.33	कन्हैयालाल
29	सी–19ए	96.66	लक्ष्मीनारायण
30	सी–19	96.66	हजारी/जगदीश
31	सी–20	193.33	गोकुल
32	सी–21	61.22	ताराचन्द जैन
33	सी–21बी	34.15	रतनमोहन गुप्ता
34	सी–21ए	90.22	गणेश
35	सी–22	45.43	राजू ठठेरा
36	सी–22ए	43.55	हरिनारायण
37	सी–23	96.66	किशोर कुमार
38	सी–23ए	96.66	प्रभू दयाल
39	सी–24	193.33	भीम सिंह
40	सी–25	96.66	अनिल जैन
41	सी–26	290	विनीत जैन
42	सी–27	90	रामसहाय बैरवा
43	सी–27ए	84	हनुमान सहाय
44	सी–28	96.66	प्रेम देवी
45	सी–28ए	96.66	गणपत लाल
46	सी–29	193.33	कमला देवी
47	सी–30	96.66	नाथूराम
48	सी–31	193.33	नानगराम
49	सी–32	193.33	नन्दलाल
50	सी–33ए	96.66	लालाराम
51	सी–33	96.66	नाथूलाल/कन्हैया
52	सी–34	116.66	नन्दलाल
53	सी–35	116	रतनलाल
54	सी–36	40	भगवान सहाय
55	सी–36ए	80	भगवान सहाय
56	सी–37	60	नारायण सिंह
57	सी–37ए	58.78	दामोदर
58	सी–38	57.55	शंकरलाल
59	सी–38ए	57.55	सुदरी देवी

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा., जयपुर

60	सी–39	123.33	राजपाल सिंह
61	सी–40	133.33	भंवरलाल
62	सी–41	133.33	मूल चन्द
63	सी–42	133.33	रणजीत सिंह
64	सी–43	133.33	गोपाल
65	सी–44	71.77	मन्दिर
66	सी–45	229.44	दूलीचन्द
67	सी–46	244	रामप्रसाद

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सदस्यता सूची का प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन–06/उपा./डी–3442 दिनांक 18.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– भैरव गृ.नि.स.स की योजना उद्योग नगर विस्तार की सदस्य सूची के प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भैरव गृ.नि.स.स की योजना उद्योग नगर विस्तार की नियमन हेतु सदस्य सूची का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : सदस्यता सूची।

उपायुक्त जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन–06
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

24/9/13

270

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012–13

कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता), जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक–जविप्रा/संयुक्त रजि./सह./2013/डी–2145 दिनांक–22/9/13.

–:सूचना:–

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर की योजना–उद्योग नगर विस्तार की सदस्यता सूची सहकारिता प्रकोष्ठ में प्रस्तुत नही हुई। है। उद्योग नगर विस्तार विकास समिति पता–12, उद्योग नगर विस्तार, रोड़ नं–8 के सामने, सीकर रोड़, जयपुर द्वारा उक्त योजना की सदस्यता सूची हाय लिय उपायुक्त जोन–6 जविप्रा में पेश की गई है। उक्त योजना की सदस्यता सूची प्रमाणिकरण हेतु सहकारिता प्रकोष्ठ को प्राप्त हुई है। योजना के भूखण्डधारियों की सूची निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	सदस्य पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गगज
01	कमला देवी पत्नी श्री सत्यनारायण अग्रवाल	1	325.00
02	तुलसीदास पुत्र श्री नानग राम/ गीता देवी पत्नी भूदेव सैनी	2 व 3	432.00
03	तुलसीदास पुत्र श्री नानग राम मास्टर	4	253.00
04	रोषन लाल पुत्र श्री सत्यनारायण सैनी	5	192.00
05	मामराज लाटा पुत्र श्री महावीर प्रसाद लाटा	6–ए	116.00
06	दामोदर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा	7	288.00
07	मंजू देवी पत्नी श्री मदन लाल	8	216.00
08	गायत्री देवी पत्नी श्री हरीदत्त शर्मा	9	216.00
09	प्रेम नारायण कोशिक पुत्र श्री उदय राम कोशिक	10	216.00
10	महावीर कुमार जैन पुत्र श्री इन्द्रमल जैन	11	216.00
11	बक्सी राम महला पुत्र श्री लच्छा राम	12	216.00
12	मंजू देवी पत्नी श्री मोती लाल सैनी	13	216.00
13	दांखा देवी पत्नी श्री नानग राम मास्टर	14	216.00
14	गुलाब देवी पत्नी श्री बंशीधर खुम्हार	15	216.00
15	हरफूल सिंह महरिया पुत्र श्री भागीरथ सिंह	16	216.00
16	रामचरण महावर पुत्र श्री चन्दरराम महावर	17	288.00
17	नत्थू सिंह पुत्र श्री मंगेज सिंह	18	288.00
18	भागीरथ सिंह पुत्र श्री बिरद सिंह	19	288.00
19	बच्चा लाल शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा	20	116.66
20	हरिनारायण सैनी पुत्र श्री मूला राम सैनी	20	116.66
21	बुदी देवी पत्नी श्री मुरारी लाल सैनी	21	200.00
22	कबुल सिंह पुत्र श्री कान सिंह	22	200.00
23	शान्ति देवी पत्नी श्री बनवारी लाल	23	150.00
24	प्रेम देवी पत्नी श्री रामविकास	23–बी	150.00
25	ओम कंवर शेखावत पत्नी श्री लालसिंह शेखावत	25	210.00

26	कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री सीता राम शर्मा	26	233.00
27	भगवान देवी पत्नी श्री नरोत्तम सिंह	28	272.00
28	श्री देवी पत्नी श्री साफिगराम	29	233.0
29	अशोक शाह पुत्र श्री जुगल किसोर शाह	30	116.6
30	विमलेश देवी पत्नी श्री अशोक सिंह	30	116.6
31	दूर्गपाल सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह	31	240.00
32	ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री किशन सिंह	32	200.00
33	बजरंगी देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय टोंक	32–ए	150.00
34	रामदेव मोदी पुत्र श्री गोरीदत्त मोदी	35	272.00
35	मनभर देवी पत्नी श्री सेडू राम खुम्हार	38	233.00
36	गोपाल लाल सैनी पुत्र श्री गुल्ली लाल सैनी	39	175.00
37	रविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुन्जेशवर सिंह तोमर	39–ए	175.00

अतः उक्त सूची के सन्दर्भ में किसी भी व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से केम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में सहकारिता प्रकोष्ठ में कमरा नं–8, भू–तल, मुख्य बिल्डिंग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/पट्टा विलेख की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उप रजिस्ट्रार (सहकारिता)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें। कृपया उपायुक्त जोन–6, जविप्रा को कैम्प दिनांक से पूर्व विज्ञप्ति की राशि से अवगत करावें। जिससे वे नियमन राशि के साथ यह राशि भूखण्डधारियों से प्राप्त कर सके।

उप रजिस्ट्रार (सहकारिता)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102137 / 5956 DATED- 18/10/2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रीमती शांति मीना पत्नि श्री मंगलिया लाल मीणा निवासी प्लाट न. जी–13 नील पदम सरोवर मार्ग नर्सरी सर्कल के पास वैशाली नगर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर–कृषिक (वाणिज्यिक पैट्रोल पम्प) प्रयोजन** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थातः–

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम–गोविन्दपुरा उर्फ चक करोल तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	श्रीमती शांति मीना पत्नि श्री मंगलिया लाल मीणा, हिस्सा पूर्ण, जाति–मीना, निवासी प्लाट न. जी–13 नील पदम सरोवर मार्ग नर्सरी सर्कल के पास वैशाली नगर, जयपुर	137/104 142/103 143/103 149/138	0.0426 हैक्टेयर 0.0300 हैक्टेयर 0.0300 हैक्टेयर 0.0370 हैक्टेयर
कुल		**कुल किता 04**	**रकबा 0.1396 हैक्टेयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18/10/22 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-9
प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{+91–141–सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स– –91–141–2574555
ई–मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}